"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 51] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 21 दिसम्बर 2018—अग्रहायण 30, शक 1940

विषय—सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) छत्तीसगढ़ विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) छत्तीसगढ़ अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, रायपुर

अटल नगर रायपुर, दिनांक 6 दिसम्बर 2018

क्रमांक ई 7-26/2004/एक-2.—श्री आर. पी. मण्डल, अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को दिनांक 01-12-2018 से दिनांक 10-12-2018 तक 10 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री मण्डल आगामी आदेश तक अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2018.

3. अवकाश काल में श्री मण्डल को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री आर. पी. मण्डल अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मुकुन्द गजभिये, उप-सचिव.

आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, रायपुर

अटल नगर रायपुर, दिनांक 5 अक्टूबर 2018

क्रमांक एफ 7-35/2017/32.—राज्य शासन एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्र. 23 सन् 1973) की धारा 23-क की उपधारा (1) (क) के अंतर्गत इस विभाग की समसंख्यक सूचना दिनांक 31-08-2018 द्वारा अटल नगर विकास योजना 2031 में लोक प्रयोजनार्थ निम्नानुसार भूमि का उपांतरण प्रस्तावित करते हुये दो प्रमुख दैनिक स्थानीय समाचार पत्र में एक दिन प्रकाशित की गई थी :—

अटल नगर विकास योजना 2031 में उपांतरण प्रस्ताव

क्र.	ग्राम का नाम	खसरा क्र.	रकबा (हेक्टेयर में)	विकास योजना में अंगीकृत प्रस्ताव	अधिनियम की धारा 23-क के तहत् उपांतरण के प्रस्ताव
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	सेरीखेड़ी	680/1 का भाग	7.115 हे.	कृषि	आवासीय
	प.ह.नं. 42	431/1	3.765	कृषि	आवासीय
			कुल रकबा 7.115 हे.		

2. उक्त प्रस्तावित उपांतरण छत्तीसगढ़ राज्य मंत्रालयीन सेवा के अधिकारियों/कर्मचारियों को विकसित भू-खण्ड उपलब्ध कराने के लिए विशेष आवासीय योजना हेतु है.

3. सूचना में उल्लेखित निश्चित समयावधि में कोई आपत्ति/सुझाव प्राप्त नहीं हुआ है.

4. अत: राज्य शासन एतद्द्वारा अटल नगर विकास योजना 2031 में उपरोक्त उपांतरण की पुष्टि करता है. उक्त उपांतरण अटल नगर विकास योजना 2031 का अंगीकृत भाग होगा.

अटल नगर रायपुर, दिनांक 6 अक्टूबर 2018

शुद्धि पत्र

क्रमांक एफ 7-35/2017/32.—इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 05 अक्टूबर 2018 जो छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 23-क की उपधारा (1) (क) के अंतर्गत "अटल नगर विकास योजना 2031 में उपांतरण संबंधी है," के कॉलम (2) में उल्लेखित खसरा क्रमांक 680/1 का भाग का कालम (4) में रकबा 7.115 हेक्टर अंकित है, को 3.350 हेक्टर" पढ़ा जाये.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रेजीना टोप्पो, अपर सचिव.

श्रम विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, रायपुर

अटल नगर रायपुर, दिनांक 10 दिसम्बर 2018

क्रमांक एफ 8-1/2015/16.—छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग के पत्र क्रमांक एफ-54-14/तीन (दो)/न.पा./अव.कार.श्रमिक/2018/1868, दिनांक 27-11-2018 में उल्लेखित छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी आदेश क्रमांक-एफ-54-03/तीन (दो)/न.पा./समय कार्यक्रम/2018/1699 रायपुर, दिनांक 16 अक्टूबर, 2018 के अनुसार भारत का संविधान के अनुच्छेद 243यक सहपठित छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 (1) एवं छत्तीसगढ़ नगर पालिका निर्वाचन नियम-1994 के नियम 11-क एवं नियम 75-क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नियम 75-ग की अपेक्षा अनुसार राज्य निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा नगरपालिका परिषद् रतनपुर जिला-बिलासपुर के अध्यक्ष को अपने पद से वापस बुलाने के संबंध में निर्वाचन की समय अनुसूची (निर्वाचन-कार्यक्रम) में अंकित नगर पालिका परिषद् हेतु दिनांक 31-12-2018 (सोमवार) को मतदान की तिथि निर्धारित है.

2. अत: कारखाना अधिनियम, 1948 तथा छत्तीसगढ़ दुकान एवं स्थापना अधिनियम-1958 के अंतर्गत आने वाले कारखानों/स्थापनाओं में कार्यरत उन श्रमिक/कर्मचारियों के लिए मतदान के दिन अर्थात् दिनांक 31-12-2018 (सोमवार) को राज्य शासन एतद्द्वारा संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में अवकाश घोषित करता है.

3. ऐसे कारखाने जो सप्ताह में सातों दिन कार्य करते हैं, वहां प्रथम एवं द्वितीय पॉली के श्रमिकों को मतदान के दिन 02-02 घंटे का अवकाश घोषित किये जाने तथा जो कारखाने निरंतर प्रक्रिया के अंतर्गत आते हैं, उनमें काम करने वाले श्रमिकों को बारी-बारी से मतदान करने की सुविधा दी जाये.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
तीरथ प्रसाद लड़िया, अवर सचिव.

वन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, रायपुर

अटल नगर रायपुर, दिनांक 26 नवम्बर 2018

क्रमांक एफ 1-03/2018/10-भा.व.से.—छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्रमांक/एफ 9-21/2011/1-8, दिनांक 26-11-2018 द्वारा श्री राकेश चतुर्वेदी, भा.व.से. (1985) मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छत्तीसगढ़ ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण, रायपुर को प्रधान मुख्य वन संरक्षक के पद पर पदोन्नति तथा पदोन्नति पश्चात् पदस्थापना किये जाने हेतु राज्य स्तरीय स्क्रीनिंग कमेटी की अनुशंसा पर, भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली द्वारा दी गई अनुमति के अनुक्रम में, उनकी सेवाएं तत्काल प्रभाव से वन विभाग को वापस सौंपी गई है.

राज्य शासन एतद्द्वारा श्री राकेश चतुर्वेदी, भा.व.से. (1985)अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक को उनसे कनिष्ठ श्री कौशलेन्द्र सिंह (1985) को प्रधान मुख्य वन संरक्षक के पद पर दी गई पदोन्नति की तिथि दिनांक 27-08-2018 से प्रधान मुख्य वन संरक्षक के पद एवं वेतनमान अनुसूचि-III के वेतन मेट्रिक्स के लेबल 16 (रु. 2,05,400-2,24,400) में पदोन्नत करते हुए प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं प्रबंध संचालक, छ.ग. राज्य लघु वनोपज संघ, रायपुर के पद पर अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त पदस्थ करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सी. के. खेतान, अपर मुख्य सचिव.

अटल नगर रायपुर, दिनांक 1 दिसम्बर 2018

क्रमांक एफ 1-79/2006/10-भा.व.से.—विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 11-10-2017 द्वारा श्री एस.सी. रहटगांवकर, भा.व.से. (1987) तत्कालीन वनमण्डलाधिकारी एवं प्रबंध संचालक, जिला यूनियन पूर्व भानुप्रतापपुर को दीर्घ शास्ति के दण्ड से दण्डित किया गया है. उक्त दण्डादेश के विरूद्ध श्री एस.सी. रहटगांवकर द्वारा भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली को प्रस्तुत अपील पर भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र क्रमांक/13011/01/2017-AVU, दिनांक 16-11-2018 द्वारा उक्त दण्डादेश को निरस्त किये जाने हेतु आदेश पारित किया गया है.

2. राज्य शासन एतद्द्वारा भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के आदेश क्रमांक/13011/01/2017-AVU, दिनांक 16-11-2018 के अनुक्रम में श्री एस. सी. रहटगांवकर, भा.व.से. (1987) तत्कालीन वनमण्डलाधिकारी एवं प्रबंध संचालक, जिला यूनियन पूर्व भानुप्रतापपुर के विरूद्ध जारी दण्डादेश दिनांक 11-10-2017 को निरस्त करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विजय कुमार चौधरी, अवर सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कोरिया, बैकुण्ठपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छ.ग. शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

कोरिया, दिनांक 15 नवम्बर 2018

क्रमांक/9598/वाचक/भू-अर्जन/2018.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोरिया	भरतपुर	चुटकी प.ह.नं. 13	3.85	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, बैकुण्ठपुर.	डौकीझिरिया व्यपवर्तन योजना नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), भरतपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

कोरिया, दिनांक 15 नवम्बर 2018

क्रमांक/9599/वाचक/भू-अर्जन/2018.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोरिया	भरतपुर	भंवरखोह प.ह.नं. 13	2.36	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, बैकुण्ठपुर.	डौकीझिरिया व्यपवर्तन योजना नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), भरतपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
नरेन्द्र कुमार दुग्गा, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बलौदाबाजार-भाटापारा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन सचिव, छ.ग. शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

बलौदाबाजार, दिनांक 4 दिसम्बर 2018

क्रमांक 1140/भू-अर्जन/2018 प्र.क्र. 07 अ/82 वर्ष 2015-16.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बलौदाबाजार-भाटापारा	बलौदाबाजार	कुकुरदी प.ह.नं. 16	3.560	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग संभाग, बलौदाबाजार (छ.ग.)	बलौदाबाजार बाई पास मार्ग निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), बलौदाबाजार के कार्यालय में किया जा सकता है.

बलौदाबाजार, दिनांक 4 दिसम्बर 2018

क्रमांक 1141/भू-अर्जन/2018 प्र.क्र. 08 अ/82 वर्ष 2015-16.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बलौदाबाजार-भाटापारा	बलौदाबाजार	परसाभदेर प.ह.नं. 16	6.851	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग संभाग, बलौदाबाजार (छ.ग.)	बलौदाबाजार बाई पास मार्ग निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), बलौदाबाजार के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जनक प्रसाद पाठक, कलेक्टर एवं पदेन सचिव.